

उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
प्रधान कार्यालय, कलमबाग चौक,
मुजफ्फरपुर, बिहार, 842 001



Uttar Bihar Gramin Bank

HEAD OFFICE, KALAMBAGH CHOWK,
MUZAFFARPUR, BIHAR, 842 001

(Sponsored By :: Central Bank of India)

सम्पत्ति बंधक के विरुद्ध ऋण

उद्देश्य:	व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परन्तु सहेबाजी, रियल स्टेट एवं पूँजी बाजार हेतु नहीं ।
पात्रता:	शहरी, अर्धशहरी केन्द्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के विरुद्ध ऋण ।
लक्ष्य समूह:	<ul style="list-style-type: none"> व्यक्ति (एकल या संयुक्त रूप से) व्यापारी, व्यवसायी अथवा स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति जिसकी सकल आय प्रति माह 1000/- या इससे अधिक हो । किसी बैंक / वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं हो ।
सुविधा का प्रकार:	सावधि ऋण / अधिविकर्ष –ओडी ।
ऋण की मात्रा:	<ul style="list-style-type: none"> न्यूनतम राशि रु 1 लाख और अधिकतम राशि रु 50 लाख । वेतनभोगी आवेदक / आवेदकों के मामले में सकल मासिक आय का 36 गुना या बंधक संपत्ति मूल्य का 50% या जो कम हो । गैर वेतनभोगी के मामले में आयकर विवरणी में दर्शायी गयी सकल वार्षिक आय का 3 गुणा या सम्पत्ति मूल्य का आधा जो कम हो ।
प्रतिभूति:	<ul style="list-style-type: none"> संपत्ति का बंधक (जिसका चर्तुसीमा स्पष्ट हो) एवं आसानी से पहचान योग्य हो एवं चारदीवारी अवश्य दिया हुआ हो ।
ब्याज दर:	13.5% (परिवर्तनीय) दर से प्रतिमाह लगाया जायेगा ।
बीमा:	सम्पत्ति के पूर्ण लागत का सधन बीमा करना होगा ।
ऋण की अदायगी:	एक समान 72 मासिक किश्तों / अधिकतम 120 मासिक किश्तों में जो संवितरण के बाद अगले माह से ।